



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092026-276059
CG-DL-E-08092026-276059

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]
No. 33]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/ भाद्र 17, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

आ.अ. 33(अ).—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान करने और मतों के अभिलेखन का यथाविहित ऐसा तरीका अपनाया जाए, जैसा की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट किया जाए;

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित ऐसे डिजाइन वाला ड्रॉप बॉक्स युक्त एक प्रिंटर भी, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उनके भागों में मत के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए;

3. यतः, निर्वाचन आयोग ने अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/114/2026 दिनांक 07 सितम्बर, 2026 द्वारा घोषित तमिलनाडू के 35-मदुरांटकम (अ.जा.) और 101-धारापुरम (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, पुडुचेरी की 09-थट्टानचावाडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 70-रेजीनगर और 210-नन्दीग्राम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और असम की 09-नगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान उपचुनावों में सभी परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें

(ईवीएम) और पेपर ट्रेल [मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं। मतदान कार्मिक ईवीएम और 'वीवीपैट प्रिंटर्स' को कुशलतापूर्वक संभालने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और मतदाता भी ईवीएम और वीवीपैट प्रिंटर्स के प्रचालन से पूर्ण रूप से अवगत हैं

4. अब, इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, दिनांक 09.09.2026 को अधिसूचित होने वाले तमिलनाडू के 35-मदुरांतकम (अ.जा.) और 101-धारापुरम (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, पुडुचेरी की 09-थट्टानचावाडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 70-रेजीनगर और 210-नन्दीग्राम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और असम की 09- नगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिनमें निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर्स के माध्यम से मत डाले और अभिलिखित किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, एतद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूरु तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटर्स, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और अभिलिखित करने के लिए उक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है।

[फा. सं. 576/3/ईवीएम/2026/एसडीआर/खण्ड-II]

आदेश से,

एस.बी. जोशी, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

DIRECTION

New Delhi, the 8th September, 2026

O.N. 33(E).— Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in the **current bye-elections to the 35-Madurantakam (SC) and 101-Dharapuram (SC) Assembly Constituencies in Tamil Nadu, 09-Thattanchavady Assembly Constituency in Puducherry, 70-Rejinagar and 210-Nandigram Assembly Constituencies in West Bengal and 09-Nagaon Parliamentary Constituency in Assam announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/114/2026 dated 07.09.2026**, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)] are available for taking the poll in the aforesaid Constituencies. The polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby **specifies the 35-Madurantakam (SC) and 101-Dharapuram (SC) Assembly Constituencies in Tamil Nadu, 09-Thattanchavady Assembly Constituency in Puducherry, 70-Rejinagar and 210-Nandigram Assembly**

Constituencies in West Bengal and 09-Nagaon Parliamentary Constituency in Assam to be notified on 09.09.2026 as the constituencies in which the votes shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

[F. No. 576/3/EVM/2026/SDR-Vol.-II]

By Order,

S.B.JOSHI, Principal Secy.